भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 2514

सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

सीमा क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों की सुरक्षा

2514. श्री हरीश चंद्र मीनाः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सीमा क्षेत्रों में स्थित पर्यटन स्थलों के लिए कोई विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल निर्धारित किए हैं, जिसके अंतर्गत गृह मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करने की व्यवस्था शामिल है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार समय-समय पर सीमा क्षेत्रों में पर्यटन संबंधी अवसंरचना और आपातकालीन तैयारियों की सुरक्षा जांच या आकलन करती है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने सीमा क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों पर पर्यटक सुरक्षा तंत्र और संकटकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने के लिए कोई कदम उठाए हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): पर्यटन स्थलों और उत्पादों का विकास एवं संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय ने सीमावर्ती जिलों में पर्यटन विकास के साथ-साथ, संस्थागत परिवेश और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के हल के लिए संबंधित राज्य के पर्यटन विभागों और अन्य हितधारकों के साथ नजदीकी समन्वय से कई पहलें भी शुरू की हैं।

पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन (एसडी)', 'स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0)' और स्वदेश दर्शन योजना की एक उप-योजना-'चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)' नामक अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को, सीमावर्ती क्षेत्रों सहित

स्थायी पर्यटन गंतव्यों के विकास के उद्देश्य से, वित्तीय सहायता प्रदान करके देश में पर्यटन अवसंरचना विकास के प्रयासों को संपूरित करता है।

पर्यटन मंत्रालय ने 'स्वदेश दर्शन 2.0' योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अमृतसर, पंजाब में 25.90 करोड़ रुपए की 'अटारी में सीमावर्ती पर्यटन अनुभव' नामक परियोजना, स्वदेश दर्शन योजना की 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)' नामक उप-योजना के तहत पंजाब राज्य में 25 करोड़ रुपए की 'हुसैनीवाला बॉर्डर में सांस्कृतिक और विरासत संबंधी विस्तार' नामक परियोजना और 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता- वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों का विकास' (एसएएससीआई) नामक योजना के तहत सिक्किम राज्य में 68.19 करोड़ रुपए की 'नाथुला में सीमावर्ती अनुभव' नामक परियोजना को स्वीकृति दी है।

इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना की 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)' नामक एक उप-योजना के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। इस योजना के तहत, मंत्रालय ने जीवंत ग्राम श्रेणी के अंतर्गत 5 सीमावर्ती गांवों के गंतव्यों में 5 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	**गंतव्य, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)**
1.	किबीथो, अरुणाचल प्रदेश	किबीथो सीमावर्ती पर्यटन- शांति का प्रवेश द्वार	4.96
2.	रकछम, हिमाचल प्रदेश	रकछम में पर्यटन अवसंरचना विकास - जीवंत ग्राम	4.96
3.	ग्नाथंग गांव, सिक्किम	वीरता की गूँज: ग्नाथंग वैली अनुभव	5.00
4.	माना गांव, उत्तराखंड	माना हाट	4.99
5.	जादुंग, उत्तराखंड	जादुंग महोत्सव मैदान	4.99

(ङ): पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा मूलतः राज्य के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय वास्तविक स्तर पर पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस की स्थापना संबंधी मामले को सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के साथ निरंतर उठाता रहा है।

****